मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 2011 (फाल्गुन 10, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने -

(क) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 55 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010, तथा

(ख) मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 9 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010,
पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने -

(i) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का बत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ,

(ख) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का चौबीसवां एवं पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009, तथा

(ii) मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2009-2010 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का षष्ठम् वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा स्थित लैक्सेस उद्योग से गैस रिसाव से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया. सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम धमनार में अनेक मोरों की मौत होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, सभापति, प्राक्कलन समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

-2-

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के -

(क) नगर पंचायत कैमोर के अमरैया पार माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने ,
(ख) ग्राम खितौली के माध्यमिक कन्या शाला का उन्नयन किये जाने,
(ग) खलवारा बाजार की माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,
(घ) ग्राम बरमानी की माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,
(ङ) शासकीय हाईस्कूल मझगवां के स्थान पर ग्राम पटोरी में हाई स्कूल खोले जाने,
(च) नगर पंचायत विजयराघोगढ़ के कन्या हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
(छ) ग्राम सिंघवाड़ा के सीतापुर मोहल्ले में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,
(ज) ग्राम टिकरिया के आदिवासी मोहल्ले में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने, तथा
(झ) ग्राम कछडारी में नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने,

(2) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य, भोपाल जिले की बैरसिया तहसील के ग्राम रुनाहा में नल-जल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण कराये जाने,

(3) श्रीमती गीता रामजीलाल उइके, सदस्य, बैतूल जिले की सारणी मुख्य मार्ग से उत्कृष्ट विद्यालय तक सीसी रोड़ का निर्माण कराये जाने,

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल शहर के सोनिया गांधी कालोनी से चाणक्यपुरी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(5) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोपाल शहर के नरेला क्षेत्र में शासकीय चिकित्सालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वित्त मंत्री का वक्तव्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, दिनांक 26 जुलाई, 2010 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 129 (क्रमांक 2120) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिये सदस्यों का निर्वाचन

राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1) तथा 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह-ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये सदस्यों का निर्वाचन

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2011-2012 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

9. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा .... (क्रमशः)

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 28 फरवरी, 2011